कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.–9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 81/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 01.03.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 01.03.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस विज्ञप्ति

थाना – सिधारी, जनपद – आजमगढ़

साइबर फ्रॉड का ₹30,002/- पीड़ित के खाते में वापस कराया गया

पूर्व की घटना का विवरण-

आवेदक **रविन्द्र मौर्या पुत्र हरिशचन्द्र मौर्या निवासी नरौली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़** के मोबाइल पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन किया गया। फोन करने वाले ने कहा कि "तुम्हारे दोस्त ने पैसे भेजने के लिए कहा है।" चूंकि आवेदक के मित्र ने पूर्व में उससे उधार लिया था, इसलिए आवेदक को विश्वास हो गया। कॉलर ने कहा कि "पैसा चेक करो।" जैसे ही आवेदक ने अपने मोबाइल पर राशि चेक की, उसके बैंक खाते से कुल **₹30,002/-** कट गये। बाद में जानकारी होने पर कि उसके साथ साइबर ठगी हुई है, आवेदक द्वारा **साइबर शिकायत** ऑनलाइन **NCRP पोर्टल** पर दर्ज कराई गई।

बरामदगी का विवरण-

शिकायत प्राप्त होने के उपरांत थाना सिधारी पुलिस द्वारा त्वरित विधिक कार्यवाही करते हुए संबंधित बैंक/पोर्टल से समन्वय स्थापित किया गया। तत्पश्चात पीड़ित का **पूरा धनराशि ₹30,002/-** उसके खाते में सफलतापूर्वक वापस कराई गई। पीड़ित द्वारा पुलिस की कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया।

साइबर फ्रॉड का तरीका (Modus Operandi)-

इस प्रकार की ठगी में अपराधी–

- खुद को परिचित/दोस्त का परिचित बताकर विश्वास जीतते हैं।
- "पैसा भेजा है, चेक करो" जैसे बहाने से लिंक/रिक्वेस्ट भेजते हैं।
- UPI/स्क्रीन शेयरिंग/फर्जी कॉल के माध्यम से खाते से धनराशि निकाल लेते हैं।
- जल्दबाजी और भ्रम की स्थिति पैदा कर पीड़ित को सोचने का मौका नहीं देते।

साइबर फ्रॉड से बचाव के उपाय-

1. किसी भी अज्ञात कॉल/लिंक पर तुरंत विश्वास न करें।
2. बिना पुष्टि किए किसी भी UPI रिक्वेस्ट को Accept न करें।
3. OTP, UPI PIN, ATM PIN, CVV आदि किसी के साथ साझा न करें।
4. Screen Sharing App (AnyDesk, TeamViewer आदि) अनजान व्यक्ति के कहने पर डाउनलोड न करें।
5. सोशल मीडिया या फोन पर पैसे से संबंधित जानकारी सावधानीपूर्वक दें।
6. मित्र/परिचित के नाम से पैसा मांगने पर पहले सीधे उनसे संपर्क कर पुष्टि करें।

शिकायत हेतु महत्वपूर्ण जानकारी-

यदि भविष्य में किसी प्रकार की साइबर ठगी होती है तो–

- तुरंत **साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930** पर कॉल करें।
- राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल **www.cybercrime.gov.in** पर शिकायत दर्ज करें।
- अपने नजदीकी थाने पर स्थापित साइबर हेल्प डेस्क से संपर्क करें।

समय पर शिकायत करने से धनराशि वापस मिलने की संभावना अधिक रहती है।

पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 विधनेश वर्मा, थाना सिधारी आजमगढ़
2. उ0नि0 नितीश सिंह, थाना सिधारी आजमगढ़
3. का0 महेश कुमार, थाना सिधारी आजमगढ़
4. म0का0 रीना यादव, थाना सिधारी आजमगढ़
5. का0 पवन गुप्ता, थाना सिधारी आजमगढ़

प्रेस विज्ञप्ति

थाना – मुबारकपुर, जनपद – आजमगढ़

जान से मारने की नीयत से हमला करने वाली 02 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया व 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, लोहे की पाइप व लाठी-डण्डा बरामद

घटना का विवरण-

दिनांक 28.02.2026 को वादिनी **सुमन देवी पत्नी सत्यनरायन गोंड, निवासी मोहल्ला अलीनगर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़** द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 28.02.2026 को समय लगभग 06:00 बजे सायं वह अपने घर के बाहर खड़ी होकर अपनी सास से बात कर रही थीं। उसी दौरान उनकी देवरानी रूना पत्नी विनोद गोड़ जमीन पर लोन लेने की बात को लेकर भद्दी-भद्दी गालियां देने लगी। मना करने पर आरोपीगण द्वारा एक राय होकर वादिनी, उनके पति सत्यनरायन गोंड तथा उनके पुत्र सर्वजीत व अर्पित को लाठी-डण्डा, लोहे की पाइप एवं कुल्हाड़ी से सिर व शरीर पर प्रहार कर गंभीर रूप से मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। उक्त प्रकरण में थाना मुबारकपुर पर **मु0अ0सं0 74/2026 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3) BNS बनाम आदि 04 नफर के विरुद्ध** पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 कमला सिंह यादव द्वारा की जा रही है। विवेचना के दौरान **धारा 3(5) BNS** की वृद्धि की गई।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 01.03.2026 को उ0नि0 कमला सिंह यादव मय हमराह कर्मचारीगण वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में मामूर थे। मुखबिर खास से सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित बाल अपचारी व अभियुक्ताएं पुनः अलीनगर स्थित अपने घर पर मौजूद हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर—

- **रूना देवी पत्नी विनोद गोड़**
- **मुस्कान उर्फ रोली पुत्री विनोद गोड़**

  निवासीगण अलीनगर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को समय लगभग 08:00 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया तथा मौके से ही एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी का विवरण-

अभियुक्ताओं की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त—

- 01 अदद कुल्हाड़ी
- 01 अदद लोहे की पाइप
- 01 अदद लकड़ी का डण्डा

  आलाजुर्म के रूप में बरामद कर कब्जा पुलिस में लिया गया।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 74/2026, धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3), 3(5) BNS, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0सं0 74/2026 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3), 3(5) BNS थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

- उ0नि0 कमला सिंह यादव मय हमराह कर्मचारीगण, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

थाना – महराजगंज, जनपद – आजमगढ़

गोवध निवारण अधिनियम व संगठित अपराध में लिप्त गिरोह के 02 वांछित सदस्य गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार किये गए

थाना महराजगंज पुलिस द्वारा उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 40/26, धारा 3(1), 2(ख)(xvii) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़ ।

पूर्व की घटनाइतिहास/-

अभियुक्त **सिद्धार्थ उर्फ मिट्ठू नोना पुत्र हरिहर नोना निवासी कोलमोदीपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़** एक शातिर अपराधी है, जिसने अपने गिरोह के अन्य सदस्यों—

1. बलिराम यादव पुत्र वीरेन्द्र यादव निवासी बढ़ई का पुरा थाना महराजगंज
2. रामहित यादव पुत्र पुनवासी यादव निवासी नौबरार देवारा जदीद किता (विकासनगर) थाना महराजगंज
3. योगेश धरिकार पुत्र रामबुझ धरिकार निवासी बैजुआपुर सरदहा थाना महराजगंज
4. अविनाश पुत्र रामकेवल निवासी मथुरा ठेकेदार का पुरा थाना महराजगंज
5. राजू यादव पुत्र लल्लन निवासी त्रिपुरारपुर खालसा थाना महराजगंज के साथ मिलकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु गोवध जैसे गंभीर अपराध कारित किये। इनके कृत्यों से लोक व्यवस्था प्रभावित होती है एवं आमजन में भय व आतंक का वातावरण बना रहता है। गिरोह की सक्रियता जनपदीय स्तर की पाई गई। गैंग चार्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट महोदय, आजमगढ़ से अनुमोदन उपरांत दिनांक 28.02.2026 को प्रभारी निरीक्षक केदारनाथ मौर्य द्वारा मु0अ0सं0 40/26, धारा 3(1), 2(ख)(xvii) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 का अभियोग पंजीकृत कराया गया। विवेचना थानाध्यक्ष रौनापार द्वारा संपादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 01.03.2026 को प्रभारी निरीक्षक केदारनाथ मौर्य के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर भैरोदासपुर पुलिया से समय करीब 13:30 बजे निम्न अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया—

1. **सिद्धार्थ उर्फ मिट्ठू नोना** पुत्र हरिहर नोना, उम्र 31 वर्ष, निवासी कोलमोदीपुर थाना महराजगंज
2. **राजू यादव** पुत्र लल्लन, उम्र 33 वर्ष, निवासी त्रिपुरारपुर खालसा थाना महराजगंज । अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त – सिद्धार्थ उर्फ मिट्ठू नोना-

1. मु0अ0सं0 229/18 धारा 323/504/506 भादवि थाना महराजगंज
2. मु0अ0सं0 65/21 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व 149/307/419/420/467/468 भादवि
3. मु0अ0सं0 359/24 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम
4. मु0अ0सं0 40/26 धारा 3(1),2(ख)(xvii) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट

अभियुक्त – राजू यादव-

1. मु0अ0सं0 359/24 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम
2. मु0अ0सं0 40/26 धारा 3(1),2(ख)(xvii) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

- प्रभारी निरीक्षक केदारनाथ मौर्य,थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़
- उ0नि0 ओमकार तिवारी,थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़
- हे0का0 महेन्द्र प्रसाद,थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़
- हे0का0 दीपक सिंह, का0 रामबाबू यादव, का0 फूलचन्द यादव थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़